

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)

क्रमांक / 1139 / अ.भू.अ. / रा.नि.-1 / 2024

--: अनापत्ति प्रमाण-पत्र --:

जांजगीर, दिनांक 04/09/2024

अम्बिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-343 के उन्नयन/चौड़ीकरण कार्य अंतर्गत वनभूमि ब्यपवर्तन प्रस्ताव के संबंध में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों का कुल रकबा 104.378 हे० को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्र क्रमांक FC-11/159/2022-FC दिनांक 24/01/2023 के निर्देश की कंडिका 7 के उप कंडिका 6 में उल्लेखित निर्देश Existing afforestation or afforestation raised afresh shall be eligible for ACA after attaining the age of 5 years, provided such plantation meet the preconditions specified hereinabove including predetermined success/survival criteria. Preconditions and criterion of a particular afforestation/plantation shall be evaluated by the local Forest Department by undertaking a visit to such site; के परिपालन में वन मंडलाधिकारी जिला जांजगीर चांपा द्वारा वन विभाग के आधिपत्य किये जाने एवं क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर का पत्र क्रमांक/मा.वि./2024/1614 दिनांक 18/07/2024 तथा अ.वि.अ. (रा.) जांजगीर का पत्र क्रमांक/2031/अ.वि.अ./स्टेनो/2024 दिनांक 23/08/2024, अ.वि.अ. (रा.) पामगढ़ का पत्र क्रमांक/1332/वाचक/अ.वि.अ./2024 दिनांक 23/08/2024, अ. वि.अ. (रा.) अकलतरा का पत्र क्रमांक/2233/अ.वि.अ./2024 दिनांक 02/09/2024, अ.वि.अ. (रा.) चांपा का पत्र क्रमांक/1726/अ.वि.अ./2024 दिनांक 28/08/2024 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने की अनुशंसा की गई है:-

स. क्र.	जिला	तहसील	रोपण का स्थल	वन परिक्षेत्र	खसरा नंबर	रकबा (हे.)	मौके पर पूर्व से वृक्षारोपित रकबा (हे० में)
1	जांजगीर चांपा	नवागढ़	मुड़पार	बलौदा	657/1	17.612	17.612
2	जांजगीर चांपा	पामगढ़	बोरसी	बलौदा	952/1	33.698	27.000
3	जांजगीर चांपा	बलौदा	जर्वे-1	बलौदा	230/1, 230/2, 257/1	18.249	18.249
4	जांजगीर चांपा	चांपा	कोसमंदा-1	चांपा	892/1	4.980	4.980
5	जांजगीर चांपा	चांपा	कोसमंदा-2	चांपा	879	29.839	29.839
					योग:-	104.378	97.680

उपरोक्त भूमि को वन विभाग के आधिपत्य किये जाने की स्थिति में गाईड लाईन अनुसार बाजार मूल्य की राशि की सूचना पृथक से दी जावेगी। उपरोक्त ग्रामों का कुल रकबा 104.378 हे० पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक FC-11/159/2022-FC दिनांक 24/01/2023 के द्वारा जारी निर्देशों के पालन के शर्त पर क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी की जाती है।

कलेक्टर
जिला जांजगीर-चांपा (छ०ग०)

पृष्ठा. क्र०/1140/अ.भू.अ./रा.नि.-1/2024

जांजगीर, दिनांक 04/09/2024

1. कलेक्टर बलरामपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जांजगीर चांपा वनमण्डल जांजगीर चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, एन.एच. कैम्पस, पेंशनबाड़ा रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
5. कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय-राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर/पामगढ़/चांपा/अकलतरा जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. तहसीलदार जांजगीर/पामगढ़/चांपा/बलौदा जिला जांजगीर चांपा को सूचनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जिला जांजगीर-चांपा (छ०ग०)